



प्रस विज्ञप्ति
09.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों, सचिन सुभाषचंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग से संबंधित गुरुग्राम और जींद, हरियाणा स्थित चार परिसरों में 8.7.2025 और 9.7.2025 को तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कंपनी की भारत भर में अवैध जुआ/सट्टेबाजी गतिविधियों के संबंध में की गई। मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, "प्रोबो" ऐप और वेबसाइट का संचालन करती है, जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक मंच प्रदान करती है।

ईडी ने मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों के खिलाफ गुरुग्राम, पलवल-हरियाणा और आगरा-उत्तर प्रदेश में बीएनएस, 2023 और सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उन्हें बेईमानी से "हाँ या ना" जैसे सरल प्रश्नों के माध्यम से पैसा कमाने की योजना पेश की गई, जबकि वास्तव में यह योजना खिलाड़ियों को अधिक रिटर्न की उम्मीद में अधिक निवेश करने का लालच देकर जुए को बढ़ावा देती है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि ऐप/वेबसाइटें शुरुआत में एक वैध कौशल-आधारित प्लेटफॉर्म की भ्रामक छवि को बढ़ावा देकर अपने उपयोगकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करती हैं, और अंततः एक सट्टेबाजी तंत्र के माध्यम से उनका शोषण करती हैं जहाँ सफलता पूरी तरह से संयोग से तय होती है, न कि उपयोगकर्ता की क्षमताओं या अंतर्दृष्टि से। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म को 'राय ट्रेडिंग' कहती है और इस खेल को खेलने के लिए ज्ञान/कौशल की आवश्यकता होती है। हालाँकि, खेलों के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी खेलों का उत्तर 'हाँ या ना' में दिया जा सकता है और इसलिए, केवल दो संभावित परिणाम हैं जो इसे जुए/सट्टेबाजी से अलग नहीं करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं की मेहनत की कमाई का नुकसान होता है।

ईडी की तलाशी में यह भी पता चला कि ऐप/वेबसाइट में नाबालिगों को उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत होने से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, उचित जाँच-पड़ताल (केवाईसी) का अभाव है, भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया जा रहा है और चुनाव परिणामों से संबंधित जनमत व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जाँच में यह भी पता चला कि कंपनी को मॉरीशस, केमैन द्वीप और अन्य विदेशी संस्थाओं से वरीयता शेयर जारी करने के बदले **134.84** करोड़ रुपये मिले थे। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल डेटा ज़ब्त किया गया। इसके अलावा, तलाशी के दौरान **284.5** करोड़ रुपये के एफडी और शेयरों में निवेश और तीन बैंक लॉकर भी ज़ब्त कर लिए गए।

आगे की जाँच जारी है।